

27/8/12

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

28/8/12

क्रमांक 1(25)शिक्षा/ग्रुप-3/2012

जयपुर, दिनांक 24 अगस्त, 2012

-: आदेश :-

राजस्थान ग्रामीण स्वैच्छया शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत अधिगृहित कार्मिकों हेतु अनुसंधान सहायकों के चार नवीन पद लेखा मद 2202-03-02(00) राजकीय महाविद्यालय पुरुषों के लिये, 2202-03-103-03 (00) राजकीय महाविद्यालय स्त्रियों के लिये, 2202-03-796 (01) (00) अनुजाति महाविद्यालय आयोजना भिन्न के अन्तर्गत निम्नानुसार एतद्वारा सृजित किये जाते हैं :-

1.	अनुसंधान सहायक	2	9300-34800 ग्रेड-पै 3200
2.	अनुसंधान सहायक	2	9300-34800 ग्रेड-पै 3200 + 400/- रु वैयक्तिक वेतन

उपरोक्त सृजित पदों के सृजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त चारों ही पद उक्त व्यक्तियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात्/सेवा में न रहने पर स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 101201977 दिनांक 09.07.2012 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मंवर लाल खन्दाई)

शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग।
2. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को उनकी एकल पत्रावली संख्या एफ 1(43)स्था/निकाशि/11 नय नोटशीट वापस लौटाई जाती है।
6. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1)/बजट विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4(136/1)आयो/निकाशि/11-12/772-76 दिनांक: 21 अगस्त, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, कार्मिक शाखा कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. सी.एम. खटीक)

संयुक्त निदेशक